न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —205/2019

अनवान : —

1. राकेश कुमार पुत्र प्रेमकुमार जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।

— वादी

ब ना म

1. प्रेमकुमार पुत्र रामजस जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. रमेश कुमार पुत्र प्रेमकुमार जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री मुशीराम गोस्वामी वकील वादी
श्री विरेन्द्र जाखड वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 24/02/2020

वादीगण के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 1 जेएसएल वर्तमान खाता संख्या 68/91 के मु0 न0 51 के किला न0 6 व 7 मु0 न0 33 के किला न0 5, 6/1, 15/2, 21, 22, 23 कुल 1.568है0 नहरी खातेदारी व चक 2 जेएसएल के खाता सं0 83/111 के मु0 न0 6 किला न0 6, 7 की 0.506है0 नहरी व चक 5 जेएसएल के खाता सं0 279/263 के मु0 न0 91 किला न0 6, 7/1, 14/1, 15 व 16, 17/1 कुल 1.149है0 बारानी खातदेारी भूमि प्रतिवादी प्रेमकुमार के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी का जन्म से हक व अधिकार है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा रामजस की खातेदारी हुआ करती थी। रामजस के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी प्रेमकुमार के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी प्रेमकुमार कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी प्रेमकुमार अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी प्रेमकुमार के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता 2 एवं वादी ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया। तथा प्रतिवादी सं0 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया । राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

नही पाई जाने के कारण साक्ष्यवादी में वादी राकेश कुमार पुत्र प्रेमकुमार जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने जमाबंदी रोही चक 5 जेएसएल संवत 2073 जो प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 1 जेएसएल संवत 2073 जो प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 2 जेएसएल संवत 2072 जो प्रदर्श 3, जमाबंदी चक 5 जेएसएल संवत 2045 जो प्रदर्श 4, जमाबंदी चक 1 जेएसएल संवत 2059 जो प्रदर्श 5, जमाबंदी चक 2 जेएसएल संवत 2048 प्रदर्श 6, शपथ पत्र प्रेमकुमार प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 1 जेएसएल वर्तमान खाता संख्या 68/91 के मु0 न0 51 के किला न0 6 व 7 मु0 न0 33 के किला न0 5, 6/1, 15/2, 21, 22, 23 कुल 1.568है0 नहरी खातेदारी व चक 2 जेएसएल के खाता सं0 83/111 के मु0 न0 6 किला न0 6, 7 की 0.506है0 नहरी भूमि वादी व प्रतिवादी स0 2 के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार व चक 5 जेएसएल के खाता सं0 279/263 के मु0 न0 91 किला न0 6, 7/1, 14/1, 15 व 16, 17/1 कुल 1.149है0 खातेदारी प्रतिवादी प्रेमकुमार के नाम से खातेदारी दर्ज करवाने बाबत राजीनामा पेश किया है वादी ने अपने दावा को दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया है इसलिए दावा वादी डिक्री किया जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती रोही मोजा चक 1 जेएसएल वर्तमान खाता संख्या 68/91 के मु0 न0 51 के किला न0 6 व 7 मु0 न0 33 के किला न0 5, 6/1, 15/2, 21, 22, 23 कुल 1.568है0 नहरी खातेदारी व चक 2 जेएसएल के खाता सं0 83/111 के मु0 न0 6 किला न0 6, 7 की 0.506है0 नहरी भूमि के वादी राकेश कुमार व प्रतिवादी स0 2 रमेश कुमार बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा उक्त दोनो खातों में प्रतिवादी प्रेमकुमार का नाम कलमजन किया जावे। व चक 5 जेएसएल के खाता सं0 279/263 के मु0 न0 91 किला न0 6, 7/1, 14/1, 15 व 16, 17/1 कुल 1.149है0 खातेदारी प्रतिवादी प्रेमकुमार के नाम से यथावत खातेदारी रखी जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/02/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —205/2019

अनवान : —

1. राकेश कुमार पुत्र प्रेमकुमार जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।

— वादी

ब ना म

1. प्रेमकुमार पुत्र रामजस जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. रमेश कुमार पुत्र प्रेमकुमार जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण विरेन्द्र जाखड की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती रोही मोजा चक 1 जेएसएल वर्तमान खाता संख्या 68/91 के मु0 न0 51 के किला न0 6 व 7 मु0 न0 33 के किला न0 5, 6/1, 15/2, 21, 22, 23 कुल 1.568है0 नहरी खातेदारी व चक 2 जेएसएल के खाता सं0 83/111 के मु0 न0 6 किला न0 6, 7 की 0.506है0 नहरी भूमि के वादी राकेश कुमार व प्रतिवादी स0 2 रमेश कुमार बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा उक्त दोनो खातों में प्रतिवादी प्रेमकुमार का नाम कलमजन किया जावे। व चक 5 जेएसएल के खाता सं0 279/263 के मु0 न0 91 किला न0 6, 7/1, 14/1, 15 व 16, 17/1 कुल 1.149है0 खातेदारी प्रतिवादी प्रेमकुमार के नाम से यथावत खातेदारी रखी जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.16 11:17:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: